International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

GST Reforms 2.0 और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

प्रो मनोज कुमार अग्रवाल

विभागाध्यक्ष–लेखा एवं विधि विभाग (वाणिज्य संकाय) एस.आर.के. (पी.जी.) कॉलेज, फिरोजाबाद (उ0प्र0) सम्बद्धः डा0 बी.आर. आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (उ0प्र0)

सारांश–

1 जुलाई 2017 से लागू वस्तुकर एवं सेवाकर (GST) ने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार किया। तदुपरांत GST काउंसिल की 56वीं बैठक की सिफारिशों के फलस्वरूप 22 सितम्बर 2025 से GST Reforms 2.0 (या Next Generation GST) लागू किया गया। इसका उद्देश्य कर दरों का सरलीकरण, कर अनिश्चितताओं व अनुपालन–भार को घटाना, उपभोक्ताओं के लिये राहत तथा राजस्व–प्रणाली की दक्षता बढ़ाना है। यह अध्ययन द्वितीयक समंको पर आधारित है। इस शोध–पत्र में GST Reforms 2.0 के प्रमुख तत्त्वों की रूपरेखा, इसके तात्कालिक तथा मध्य–कालिक आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण, MSME/उपभोक्ता/निर्यातकों पर पड़ने वाले प्रभाव और नीतिगत निहितार्थों का विवेचन किया गया है। प्रमुख निष्कर्ष यह हैं कि GST 2.0 ने दर–सरलीकरण और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से उपभोग को प्रोत्साहन देने तथा कर–आधार विस्तारित करने की क्षमता दिखाई है, किन्तु राज्य–राजस्व संतुलन, ITC–अनुपालन जटिलताएँ और संक्रमण–कालीन असर अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं।

मुख्यशब्द GST Reforms 2.0, दर–सरलीकरण (Rate Rationalisation), ई–इनवॉइसिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), राजस्व स्थिरता, MSME, डिजिटल अनुपालन।

1. प्रस्तावना

GST (CGST/SGST/IGST) ने 2017 में कई केंद्रीय व राज्य स्तर के अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर ”एक राष्ट्र, एक कर“ का लक्ष्य दिया। समय के साथ GST में कई तकनीकी और नीति–सुधार हुए। 2025 में प्रधानमंत्री के संबोधन और बाद में हुई GST Council की 56वीं बैठक में “Next-Generation GST” के रूप में व्यापक दर–सरलीकरण व प्रशासनिक सुधारों की अनुशंसा की गयी और उनके अनुपालन हेतु नोटिफिकेशन्स/FAQs जारी की गयीं, जिनके अंतर्गत 22 सितंबर 2025 से कई दर–परिवर्तन और नियम प्रभावी किये गए। इन सुधारों का उद्देश्य कर–सिस्टम को और सरल, नागरिक–हितैषी तथा व्यवसाय–मैत्रीपूर्ण बनाना था।

2. GST Reforms 2.0 – अर्थ तथा प्रमुख घटक

GST Reforms 2.0 का अर्थ केवल दर–परिवर्तन नहीं, बल्कि चार प्रमुख आयामों का समेकित सुधार है।

1. **दर–सरलीकरण (Rate Rationalisation):** कई स्लैबों (12प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 28प्रतिशत) को घटाकर सरल स्लैब (5प्रतिशत एवं 18प्रतिशत) बनाना और अनावश्यक उच्च दरों को कम करना कुछ ”लक्सरी/सिन“ वस्तुएँ अधिक दर(40प्रतिशत) पर बनाए रखना। इस बदलती दर–तालिका का औपचारिक नोटिफिकेशन (Notification No- 09/2025-CT(Rate)) जारी हुआ।

2. **डिजिटल अनुपालन का विस्तारः** ई–इनवॉइसिंग का व्यापक विस्तार, पंजीकरण–सुधार और फेशलेस/ऑटोमैटेड रिटर्न–प्रोसेसिंग के और उन्नयन। FAQ और CBIC/ GST-Council के दिशानिर्देशों से स्पष्ट किया गया कि डिजिटल–माध्यम पर जोर रहेगा।
3. **राजस्व–वितरण व क्षतिपूर्ति (State-Centre Fiscal Measures):** राज्यों के राजस्व–वित्त पर प्रभाव का ध्यान रखते हुए मुआवजा/फेज–इन नियम और ट्रांजिशन अलाउंस की रूपरेखा तैयार की गयी। (GST Council press release में इन बिंदुओं पर बल दिया गया)।
4. **योजनात्मक छूट/बंदिशें एवं सिस्टम–क्लीन–अपः** फर्जी आईटीसी, इनवॉइस–फ्रॉड आदि पर संबन्धित निगरानी व डेटा–एनालिटिक्स का उपयोग कर कर–लीकेज रोकने के उपाय तेज किए गए।

3. साहित्य–समीक्षा

1. **Dr. Balaji N P (2025)- Impact of GST 2.0 Reforms on the Indian Economy-** इस शोध पत्र में GST 2.0 को 2017 के बाद सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार बताया गया है। इस अध्ययन में मुख्य रूप से GST के स्लैव संरचना को सरल करते हुये दो मुख्य स्लैब (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) और कुछ चयनित वस्तुओं के लिए 40प्रतिशत डिमेरिट रेट लागू करने का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखा गया है। यह शोध पत्र बताता है कि इससे उपभोक्ता कर बोझ कम होगा, खपत में वृद्धि होगी और कई क्षेत्रों जैसे FMCG, मोटर, हाउसिंग, हेल्थकेयर आदि में विकास को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि मध्यावधि में राजस्व जोखिम को भी रेखांकित किया गया है।
2. **Dr. M. Reddi Naik & Dr. E. Gipi (2025) – Analysis of Impact of GST 2.0 and Tax Reforms-** इस अध्ययन में GST 2.0 को कीमतों में कमी, व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि और नये उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल उत्पन्न करने वाला बताया गया है।
3. **Dr. M. Yamuna Kilaru & Dr. G Steeven Raju (2025)- GST 2.0 Reforms for a New Generation-** इस शोध पत्र में बताया गया है कि कर दरों का तर्किकरण कम कीमतों से गृहस्थी की बचत और इसे व्यवसायों तथा MSME के विकास से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।
4. **Dr. Rajashree Upadhyay & Dr. Mahesh Kumar Kurmi (2025)- GST 2.0 and Consumer Welfare-** इस शोध पत्र में GST 2.0 के अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों जैसे कराधान उपभोग और सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर विस्तृत प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इस शोध पत्र में उपभोक्ता की जेब पर राहत की व्याख्या प्रमुख रूप से की गई है।
5. **Dr. Dilip Kumar A. Ode-Impact of the New GST Structure (2025) -** इस शोध पत्र का प्रमुख निष्कर्ष यह है कि GST 2.0 से मुद्रा स्फीति में कमी होगी एवं जीडीपी को प्रोत्साहन मिलेगा।

4. अध्ययन के उद्देश्य

1. GST Reforms 2.0 के प्रमुख प्रावधानों का व्यवस्थित विवेचन करना।
2. इन सुधारों के उपभोक्ता–मूल्य, विनिर्माण/खुदरा मांग, MSME अनुपालन और निर्यात प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव का विश्लेषण करना।
3. राजस्व संग्रह व राज्य–वित्त पर संभावित प्रभावों का आकलन करना।
4. संक्रमण–कालीन चुनौतियाँ और दीर्घकालिक अवसर चिन्हित करके नीतिगत सुझाव देना।

5. अनुसंधान–पद्धति

शोध विधिः प्रस्तुत अध्ययन की शोध पद्धति वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है तथा यह द्वितीय समयंको पर आधारित है। प्रमुख द्वितीयक स्रोतों में GST Council/PIB Press Release, Notification 09/2025, CBIC वेबसाइट व प्रमुख कर–विश्लेषण पोर्टल शामिल हैं। प्राथमिक विशेषज्ञ–राय (CA/Tax Professional) व मीडिया–इंटरव्यू के संक्षेपित निष्कर्षों का भी उपयोग किया गया है।

6. विश्लेषणात्मक अध्ययन (Analytical Study)

6.1 जीएसटी 2.0 के अन्तर्गत जीएसटी दरें एवं सम्बन्धित वस्तुएँ एवं सेवाएँ–

जीएसटी दर	सम्बंधित वस्तुएँ एवं सेवाएँ	मुख्य उद्देश्य एवं प्रभाव
0 प्रतिशत (कर–मुक्त)	ताजे फल एवं सब्जियाँ, बिना ब्रांड वाले खाद्यान्न (चावल, गेहूँ, दालें), दूध, अंडे, ताजा मांस एवं मछली, जीवनरक्षक दवाओं की चयनित श्रेणियाँ, शिक्षा सेवाएँ, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएँ, सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाएँ	आवश्यक वस्तुओं एवं मूलभूत सेवाओं को जीएसटी से मुक्त करके गरीब एवं मध्यम वर्ग पर कर का बोझ समाप्त करना।
5 प्रतिशत	पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, चीनी, खाद्य तेल, चाय, कॉफी (निर्धारित श्रेणियाँ), एलपीजी (घरेलू), साइकिल, कम मूल्य के वस्त्र एवं जूते, कृषि उपकरणों के कुछ भाग, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, जीवनोपयोगी घरेलू वस्तुएँ, रेलवे यात्रा की कुछ श्रेणियाँ	दैनिक उपयोग की वस्तुओं को आम जनता के लिए किफायती बनाए रखना तथा उपभोग को प्रोत्साहित करना।
18 प्रतिशत	मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वाशिंग मशीन, टीवी, फर्नीचर, सीमेंट, स्टील, दूरसंचार सेवाएँ, इंटरनेट सेवाएँ, बैंकिंग एवं बीमा सेवाएँ, होटल एवं रेस्तराँ की अधिकांश सेवाएँ, पेशेवर सेवाएँ (चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, सलाहकार आदि), ई–कॉमर्स सेवाएँ, औद्योगिक मशीनरी एवं अधिकांश विनिर्मित वस्तुएँ	अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एक समान मानक कर दर निर्धारित करना तथा कर प्रणाली को सरल बनाना।
40 प्रतिशत (विलासिता एवं Sin Goods)	लक्जरी कारें, उच्च क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, सिगार, एरेटेड (कार्बोनेटेड) पेय, ऊर्जा पेय (Energy Drinks), कुछ अन्य विलासिता की वस्तुएँ	विलासिता एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं की खपत को नियंत्रित करना तथा सरकार के राजस्व में वृद्धि करना।

6.2 GST 2.0 की प्रमुख विशेषताएँ

- **कर स्लैब का सरलीकरण**
  पूर्व की 5%, 12%, 18% एवं 28% की बहु–स्तरीय व्यवस्था को सरल बनाकर मुख्यतः 0%, 5%, 18% एवं 40% की व्यवस्था लागू की गई है।
- **12% एवं 28% स्लैब का समायोजन**
  इन स्लैबों में आने वाली अधिकांश वस्तुओं को 5% अथवा 18% की श्रेणी में स्थानांतरित किया गया है, जबकि विलासिता एवं हानिकारक वस्तुओं को 40% श्रेणी में रखा गया है।
- **आवश्यक वस्तुओं को राहत**
  खाद्यान्न, फल, सब्जियाँ, दूध, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर भार कम रखा गया है।
- **उद्योगों को लाभ**
  कम कर श्रेणियों के कारण अनुपालन (Compliance) आसान हुआ है तथा कर विवादों में कमी आने की संभावना है।
- **उपभोक्ताओं को लाभ**
  दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुओं पर कर कम होने से उनकी कीमतों में कमी आने की संभावना है।
- **राजस्व संतुलन**
  सरकार ने आवश्यक वस्तुओं पर कर कम रखते हुए विलासिता एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर राजस्व संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है।

6.3 GST 2.0 के संभावित लाभ

- कर प्रणाली अधिक सरल एवं पारदर्शी होगी।
- व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत में कमी आएगी।
- उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएँ अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध होंगी।
- कर चोरी की संभावना कम होगी।
- भारत में श्एक राष्ट्र, एक करश की अवधारणा और अधिक प्रभावी होगी।
- निवेश, उत्पादन तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

7. विश्लेषणात्मक निष्कर्ष (Analytical Findings)

1. दर–सरलीकरण से उपभोग को मजबूत करने का तात्कालिक प्रभाव सम्भव– विशेषकर नॉन–ड्यूरेबल्स में। सरकार के अनुमान और Reuters/मीडिया रिपोर्ट्स इस नीति–लक्ष्य का समर्थन करते हैं।
2. राजस्व–प्रभाव मिश्रित रहेगाः शॉर्ट–टर्म में कुछ राजस्व–छूटें दिख सकती हैं, पर मध्यम अवधि में अनुपालन व कर–आधार विस्तार से रिकवरी सम्भव है– GST Council ने इसी आधार पर फेज–इन व्यवस्था प्रस्तावित की।
3. MSME पर संक्रमण–लागत मौजूद है, पर दीर्घकाल में बाजार व विक्रय–विकास से लाभ भी मिलेगा। डिजिटल समर्थन और प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक है।
4. ITC–समस्या व इनवॉइस–मैचिंग पर सतत् निगरानी आवश्यक है; डेटा–एनालिटिक्स और फेशलेस असेसमेंट से फर्जी बिलिंग घट सकती है पर सिस्टम–इम्प्लीमेंटेशन महत्वपूर्ण है।

5. राज्य–वित्तीय संतुलन का मुद्दा सेंट्रल नीति के लिये महत्वपूर्ण चुनौती– इसे फेज–इन तथा केंद्रीय–राज्य समन्वय से मैनेज करना होगा।

8. नीतिगत सुझाव (Policy Recommendations)

1. ट्रांजिशन–फंड/फेज–इन मिकैनिज्म का स्पष्ट रोडमैपः राज्यों को शॉर्ट–टर्म राजस्व–विरोध से बचाने हेतु फेज–इन मैकेनिज्म व केंद्र–राज्य सहमति का निरन्तर पालन किया जाना चाहिए।
2. MSME–सपोर्ट पैकेजः ई–इनवॉइस पोर्टल, ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर सब्सिडी और छोटे करदाताओं के लिये त्वरित हेल्प–डेस्क की व्यवस्था होनी चाहिए।
3. ITC–रूलिंग और स्पष्ट निर्देशः ITC रिवर्सल के मामले स्पष्ट किये जाने चाहिए और व्यवहारिक मार्गदर्शन जारी किये जायें ताकि ट्रांजरैक्शन कन्फ्यूजन घट सके।
4. डाटा–एनालिटिक्स व एनफोर्समेंटः फर्जी बिलिंग पर सख्ती के साथ–साथ प्रोएक्टिव ट्रेनिंग और प्रो–कम्प्लायंस उपाय अपनाएं।
5. सार्वजनिक–प्रमुखता व संवादः व्यापारी, उद्योग और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ लगातार संवाद कर नीति–समायोजन करें।

9. निष्कर्ष (Conclusion)

GST Reforms 2.0 ने भारतीय अप्रत्यक्ष कर ढांचे में एक नयी दृष्टि और त्वरित बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया है। दर–सरलीकरण व डिजिटल अनुपालन के संयुक्त प्रयास से उपभोग–वृद्धि, कर–आधार विस्तार और व्यापार–सुगमता में सुधार संभव है। परन्तु उपलब्ध आधिकारिक निर्देशों और तात्कालिक आँकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक कार्यान्वयन, राज्य–वित्तीय समन्वय और MSME–समर्थन नीतियाँ तय करने के लिये सतत् प्रयास आवश्यक हैं। दीर्घकालिक सफलता के लिये GST 2.0 का पूरी तरह प्रभावी, पारदर्शी और सहयोगात्मक क्रियान्वयन आवश्यक है।

Bibliography:- प्रमुख संदर्भ

1. Dr. Balaji N P (2025) Impact of GST 2.0 Reforms on the Indian Economy- International Journal of Novel Research in Economics, Finance and Management. Vol. 3, Issue 6, Nov.-Dec. 2025, PP. 01-10.
2. Dr. M.Reddi Naik & Dr. E. Gopi (2025)- Analysis of Impact of GST 2.0 and Tax Reforms on Different Sectors- International Education and Research Journal. Vol. 11, No. 10(2025) PP. 1-10.
3. Dr. Yamuna Kilaru and Dr. G. Steeven Raju (2025)- GST 2.0 Reforms for a New Generation: Lighter on the Pocket, Brighter for the Future, International Joural of Economic and Business Review, Vol. 13, Issue 10 (Oct. 2025).
4. Dr. Raj Shree Upadhyay and Dr. Mahesh Kumar Kurmi (2025)- GST 2.0 and Consumer Welfare : Assessing the Affordability Dividends, International Journal for Research in Applied Sciene and Engineering Technology, 13(9), PP. 624-630.
5. Dr. Dileep Kumar A. Ode (2025)- Impact of the New GST Structure 2025- on the Indian Economy- International Journal of Social Impact, Vol. 10, Issue 3 (Jul-Sep. 2025) PP. 686-696.
6. Recommendations of the 56th Meeting of the GST Council (Press Release), Ministry of Finance / PIB (03 Sept 2025).
7. Press Release: GST Reforms 2025 — Next-Generation GST (PIB documents and FAQs).

8. Notification No- 09/2025-Central Tax Rate — (G.S.R. 641(E)) (Central Rate Notification PDF).
9. GST Council FAQs on decisions of the 56th meeting (FAQ PDF).
10. Tax analysis and consolidated HSN-wise lists: TaxGuru /ClearTax/ Tax portals (September 2025 coverage).
11. CBIC Official GST Portal — updates and Helpline information-
12. Reuters report: "India cuts consumption tax to spur domestic demand" (03 Sept 2025).